एआई समिट: अव्यवस्था से निपटने को बनाया 'वॉर रूम'

भारत मंडपम में पहले दिन हुई दिक्कतों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मांगी माफी

एजेंसियां
नई दिल्ली, 17 फरवरी

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन लंबी कतारों और भारी भीड़ के कारण आगंतुकों को हुई असुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को माफी मांगी और कहा कि सम्मेलन का संचालन सुचारु रूप से करने के लिए आयोजक लगातार काम कर रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि शिखर सम्मेलन आयोजक लोगों की बात सुनने को तैयार हैं और मुद्दों के तुरंत समाधान के लिए एक 'वॉर रूम' बनाया गया है।

मंत्री ने कहा, 'आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, कृपया हमारे साथ साझा करें। हम खुले विचारों वाले हैं। हमने एक 'वॉर रूम' बनाया है। कोई भी समस्या हो, कृपया हमें बताएं। हम निश्चित रूप से इसे आसान बनाने और आप सभी के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के प्रयास करेंगे।'

एआई इम्पैक्ट समिट

वैष्णव ने कहा, 'अगर पहले दिन किसी को कोई समस्या हुई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए पूरा दल दिन-रात काम कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे कि यह सम्मेलन आप सभी के लिए आनंददायक हो।'

पहले दिन सम्मेलन में स्टार्टअप संस्थापक, वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों सहित हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन भारी भीड़ के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। लंबी कतारें लगीं, सुरक्षा जांच में देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कुछ स्टॉल को अस्थायी रूप से खाली करना पड़ा था। अफरा-तफरी की स्थिति के बीच कुछ लोगों ने सामान गुम होने या चोरी होने की भी खबर है। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस ने दावा किया कि एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सरकार की अक्षमता के कारण कुप्रबंधन की स्थिति पैदा हुई। इससे वैश्विक स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को हर साल आयोजित होने वाले 'बेंगलूरु टेक समिट' से सीखना चाहिए।

4,000 कैमरे, 15,000 सुरक्षा कर्मी

भारत मंडपम में आयोजित हो रहे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के लिए 4,000 से अधिक एआई-सक्षम कैमरे और 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ किसी भी ऐसी गतिविधि की निगरानी कर रही है और यह देख रही है कि इस हाई-प्रोफाइल आयोजन के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या देश की छवि को प्रभावित करने की कोई कोशिश न हो सके। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के प्रबंध 2023 में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के समान ही कड़े हैं। दिल्ली पुलिस मेहमानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पड़ोसी गुड़गांव और नोएडा के सुरक्षा बलों के साथ भी समन्वय कर रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के प्रभावी इस्तेमाल में नैतिकता महत्त्वपूर्ण : जितेंद्र सिंह

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के प्रभावी इस्तेमाल में नैतिकता की भूमिका बेहद अहम होगी। सरकार के बहुभाषी एआई इंजन 'भारतजेन' का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसी भी नई पहल या उभरती तकनीक के प्रारंभिक चरण में ही आगे आकर भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित करने में नैतिक मानदंडों की भूमिका बेहद अहम होगी। वह एआई इम्पैक्ट समिट के एक सत्र में बोल रहे थे।

सिंह ने कहा कि 'भारतजेन' सरकारी स्वामित्व वाला संप्रभु मॉडल है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल केस हिस्ट्री जैसे मॉडल पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा, 'आने वाले समय में हमें भी एकीकृत होना पड़ेगा। न तो वे अकेले काम कर सकते हैं, न ही हम। इसलिए, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा।' अक्टूबर 2024 में शुरू की गई भारतजेन एक सरकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करना है। यह मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन (एएसआर) और टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। इस सत्र में भारतजेन ने अपने नए 17 बी (अरब) पैरामीटर वाले एलएलएम (बड़े भाषा मॉडल) का अनावरण किया। वर्तमान में भारतजेन के एआई मॉडल हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु सहित कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। भारतजेन ने आयुर्वेद (आयुर परम), कृषि (कृषि परम) और विधि क्षेत्र (कानूनी परम) के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए मॉडल जारी किए हैं।

एआई से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत : प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं से एआई की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का मंगलवार को आह्वान करते हुए कहा कि यह प्रौद्योगिकी 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। प्रधान ने 'एआई इम्पैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए भावी पीढ़ी से कहा कि वे एआई के इस्तेमाल को बढ़ाएं, एक साथ काम करने की भावना को मजबूत करें और इस प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाली व्यापक संभावनाओं का पता लगाएं।

प्रधान ने कहा कि भारत के बहुआयामी, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी स्वरूप के साथ-साथ उसकी समृद्ध विरासत एवं इतिहास को देखते हुए एआई देश के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने में एआई एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। मंत्री ने कहा, 'एआई हमें एक महत्त्वपूर्ण अवसर दे रही है। हमारा समाज बहुआयामी, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी है जिसकी समृद्ध विरासत एवं इतिहास है...। इसकी जटिलताओं और बहुआयामिता को समझने में एआई अहम साधन बन सकती है।'

मंत्री ने युवाओं से एआई की गहरी समझ विकसित करने और इससे मिलने वाले व्यापक अवसरों को अपनाने का आग्रह किया तथा कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'डरने की कोई वजह नहीं है। विश्वविद्यालय, स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां मिलकर एक बड़ा दृष्टिकोण तैयार करें। आने वाले समय में युवाओं के नेतृत्व में भारत एआई आधारित वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभरेगा।' प्रधान ने कहा कि देश ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया है और देश को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने की इस यात्रा में एआई प्रमुख भूमिका निभाएगी।

मुकदमों में एआई का उपयोग, पेश की जा रहीं झूठी मिसालें

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 17 फरवरी

उच्चतम न्यायालय ने अदालती फाइलिंग में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल के बिना सत्यापन उपयोग पर गहरी चिंता जताई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अदालती फाइलिंग में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) टूल के बिना सत्यापन उपयोग पर गहरी चिंता जताई है। अदालत में तमाम अनेक याचिकाएं आ रही हैं, जिनमें ऐसे फैसलों और उद्धरणों का हवाला दिया गया, जो या तो गलत हैं अथवा पूरी तरह काल्पनिक आधार पर गढ़े गए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के पीठ ने कहा कि उनके समक्ष ऐसे तमाम हलफनामे आ रहे हैं, जो एआई से तैयार किए गए प्रतीत होते हैं और उनकी मानवीय स्तर पर उनकी कोई जांच भी नहीं की जाती। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'हमें बताया गया है कि कुछ वकीलों ने ड्राफ्टिंग के लिए एआई का उपयोग करना शुरू कर दिया है।'

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया, जिसमें अदालत के सामने एक गैर-मौजूद मिसाल पेश की गई थी। उन्होंने एआई जैसे स्वचालित टूल पर आंख मूंदकर भरोसा करने के जोखिमों की ओर इशारा करते हुए कहा, 'मर्सी वर्सस मैनकाइंड का एक मामले का अदालत में उदाहरण पेश किया गया। असलियत में यह केस कभी किसी अदालत के समक्ष आया ही नहीं।'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता के सामने भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई, जहां तर्कों के समर्थन में काल्पनिक मिसालें रख दी गईं। उन्होंने टिप्पणी की, 'न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

उद्धृत सभी मिसालें कभी अस्तित्व में थी ही नहीं।' पीठ ने ऐसे उदाहरणों पर भी ध्यान दिलाया, जहां उच्चतम न्यायालय से जुड़े मामलों का हवाला दिया गया, लेकिन उनके साथ ऐसे अंश जोड़ दिए गए, जो वास्तविक फैसले का हिस्सा नहीं थे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बताया, 'कुछ लोग उच्चतम न्यायालय के असली फैसलों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उद्धृत अंश संबंधित फैसले में मौजूद ही नहीं हैं।'

ये टिप्पणियां कानूनी ड्राफ्टिंग और शोध में एआई के बढ़ते उपयोग के बारे में व्यापक संस्थागत चिंता को दर्शाती हैं। हाल के महीनों में अदालतों को ऐसी फाइलिंग और कुछ मामलों में ड्राफ्ट आदेश भी मिले हैं, जिनमें उन मिसालों का उल्लेख किया गया है, जिनका आधिकारिक लॉ रिपोर्ट या कोर्ट डेटाबेस में कोई पता नहीं है। इससे एक बात और साबित हो जाती है कि तकनीकी सहायता कभी भी पेशेवर परिश्रम की जगह नहीं ले सकती।

जजों ने इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल टूल अनुसंधान और केस प्रबंधन में तो मदद कर सकते हैं, लेकिन सटीकता सुनिश्चित करने का दायित्व बार और बेंच के सदस्यों के ऊपर ही है और वे पूरी सतर्कता से जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें। रिकॉर्ड में पेश करने से पहले हर मिसाल और कानूनी प्रस्ताव को प्रामाणिक एवं अधिकृत स्रोतों से सत्यापित किया जाना चाहिए।

बाबा रामदेव के व्यक्तित्व अधिकार मामले में सोशल मीडिया मंचों ने जताया विरोध

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 17 फरवरी

योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर व्यक्तित्व अधिकार मामले के कई बिंदुओं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो व्यंग्य, पैरोडी, राजनीतिक टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग और फैक्ट-चेक जैसी टिप्पणियों को प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा, जो संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह के निर्देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए चिह्नित की गई कुछ सामग्री में रामदेव का हाथी पर सवार वीडियो, उनके द्वारा एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज कराने वाले चित्र और उन्हें पेट्रोल की कीमतों से जोड़ने वाली टिप्पणी शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं। एक्स की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका में चिन्हित 16 यूआरएल में से 14 पहले ही हटाए जा चुके हैं। वहीं मेटा की ओर से कहा गया कि स्पष्ट रूप से गैरकानूनी या आपत्तिजनक सामग्री हटाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन समाचार रिपोर्टिंग को व्यक्तित्व अधिकार के नाम पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कई पोस्ट उनके नाम, छवि, आवाज और विशिष्ट शैली का दुरुपयोग करते हुए उन्हें बदनाम करने वाली हैं। उन्होंने डीपफेक, फर्जी विज्ञापन और अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने रामदेव को हटाने योग्य सामग्री की समेकित सूची दाखिल करने और सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी आपत्तियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

कृषि क्षेत्र में सूचना की कमी को दूर करेगी एआई : एस कृष्णन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने मंगलवार को कृषि क्षेत्र में सूचना के अंतर को पाटने के लिए एआई के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शोध संस्थानों को किसानों से जोड़ने वाली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पूरा ध्यान किसानों को वास्तव में आवश्यक परामर्श सहायता प्रदान करने के बजाय कच्चा माल पहुंचाने पर केंद्रित हो गया है। कृष्णन ने बताया कि वह स्वयं पंजीकृत किसान हैं और उन्होंने कृषि ऋण लिया हुआ है तथा उनकी मां खेती-बाड़ी का काम देखती हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका है और अक्सर वे उन कच्चे माल और सलाह के लिए भुगतान करने को तैयार रहते हैं, जिनका महत्त्व समझते हैं। सचिव ने कहा कि सब्सिडी वाले कच्चे माल को अक्सर कृतज्ञता के बजाय संदेह के साथ स्वीकार किया जाता है। यह एक ऐसी वास्तविकता है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं।

उन्होंने कहा, 'सूचना विषमता को दूर करना, सलाह देने वाले प्रशिक्षित पेशेवरों की दक्षता बढ़ाना या इस तरह की सलाह को वास्तविक समय में उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये वे बड़े प्रभाव हैं जो एआई डाल सकता है।' कृष्णन ने ऋण तक पहुंच के बारे में गांवों में विसंगति का जिक्र किया, जहां छोटे किसानों को ऋण लेने के लिए कानूनी रूप से कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उनसे नियमित रूप से ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाएगी एआई: अमिताभ कांत

नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि एआई एक अत्यंत परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी है, जो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाएगी। उन्होंने वैश्विक असमानताओं को बढ़ने से रोकने के लिए एआई के सुलभ, किफायती, जवाबदेह और बहुभाषी होनी पर जोर दिया। राष्ट्रीय राजधानी में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में उन्होंने कहा कि भारत ने कम समय में दशकों की प्रगति को पीछे छोड़ दिया क्योंकि इसकी प्रणालियां 'ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर', 'ओपन एपीआई' और वैश्विक पारस्परिकता पर आधारित हैं।

चिकित्सकों की जगह नहीं ले सकती एआई : अनुप्रिया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को कहा कि ये आशंकाएं काफी हद तक बेबुनियाद हैं कि एआई चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की जगह ले सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रौद्योगिकी पूरे चिकित्सा जगत के लिए फायदेमंद साबित होगी। राष्ट्रीय राजधानी के 'भारत मंडपम' में आयोजित 'एआई इंपैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए अनुप्रिया ने चिकित्सा जगत से एआई आधारित प्रौद्योगिकियों का ज्ञान हासिल करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि एआई के इस्तेमाल और हमारे स्वास्थ्य पेशेवरों पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर काफी बहस चल रही है। **भाषा**

सार्वजनिक सूचना

हमारी बैंक शाखा और अन्य संबंधित व्यवसाय (ऑटोमेटिड टेलर मशीन–एटीएम की स्थापना सहित) के लिए हम, **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, (केएमबीएल)** नीचे वर्णित अनुसार स्वामियों के द्वारा स्वामित्व में यहां नीचे लिखित अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित संपत्ति 09 + 09 (नौ + नौ) की अवधि के लिए लीज पर लेने के लिए इच्छुक है।
बड़े स्तर पर सर्वसाधारण और सभी संबंधित, निजी व्यक्तियों, सरकारी / सेमी–सरकारी संस्थानों / निकायों / प्राधिकरणों का, यदि किसी व्यक्ति या संसीी का यहां वर्णित संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व, हित या कोई आपत्ति है तो इसे सूचित किया जाता है कि वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में सहायक दस्तावेजों की प्रतियां सहित इसे सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से 7 (सात) दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।, फिर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति का शीर्षक क्लीयर है अरैर ऐसे सभी संबंधितों को अपने अधिकारों से छूट है और ऐसे सभी संबंधित को इसके बाद किसी आपत्ति को उठाने से वंचित माना जाएगा और हम लीज डीड या ऐसे अनुबंधों के निष्पादन में इसके बाद भावी प्रक्रिया करेंगे और ऐसे सभी व्यक्तियों को इसके बाद ऐसे लेन–देन के लिए किसी आपत्ति उठाने से वंचित माना जाएगा।

लीज पर ली गई संपत्ति का विवरण	स्वामी
संपत्ति के सभी भाग व शेष माप लगभग 724 वर्ग फुट, कारपेट एरिया (लगभग) **ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 22, कंचन भवन, स्टेशन रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश**	श्री प्रभात गुप्ता

कानूनी विभाग
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
कोटक इनफिनिटी, 5वीं मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जनरल ए के विद्या मार्ग, मलाड़ (ईस्ट), मुबंई 400 097
Ph. Nos.: +91 22 66055570 / 5548/ 5544, Fax–(022) 67259088

BAJAJ FINANCE
बजाज फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स मुंबई पुणे रोड अकुर्दी पुणे 411035
शाखा कार्यालयः बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड सी/ओ अंशुमान ट्रेडर्स बहराइच रोड गोंडा उत्तर प्रदेश 271001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को **पंजीकृत डाक द्वारा मांग ("नोटिस")** जारी किया था, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** की अवधि के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।
उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार वास्ते बकाया राशि एवं उस पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। **उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।**

क्र.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता(ओं)/ बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) का नाम	सुरक्षित अचल सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि और धारा 13(2) के तहत सूचना राशि और कब्जे की तिथि
1	**लैन: P4B9PBL2527551** 1. **विजय कुमार पुत्र राम सुंदर,** निवासी अर्जुन वैश पुरावा सोनोली मोहम्मदपुर गोंडा उत्तर प्रदेश 271402 संपर्कः 7985920750 ईमेल आईडीः vijay@gmail.com औरः पुराना अराजी नं. 8488, 8486, 8286, 8049 (वर्तमान अराजी नंबर 3702) गांव– सोनौली मोहम्मदपुर, परगना– ग्वारिच, तहसील– तरबगंज, जिला–गोंडा–271202 2. **भान मती पत्नी राम सुंदर** निवासीः अहिरन वैस पुरवा सोनोली मोहम्मदपुर सोनौली मोहम्मदपुर गोंडा उत्तर प्रदेश 271402 संपर्कः 7985920750 ईमेल आईडीः vijay@gmail.com 3. **सिद्धार्थ कृषि यंत्र इसके प्रोप. द्वारा विजय कुमार** निवासीः अर्जुन वैश पुरवा सोनोली मोहा, गोंडा, उत्तर प्रदेश, 271402 संपर्कः 7985920750 ईमेल आईडीः vijay@gmail.com 4. **राम सुंदर पुत्र छोटे लाल निवासीः** अर्जुन वैस पुरवा सोनोली मोहम्मदपुर सोनौली मोहम्मदपुर गोंडा उत्तर प्रदेश 271402 संपर्कः 7985920750	पुराने अराजी नंबर 8488, 8486, 8286,8049 के मकान का हिस्सा (वर्तमान अराजी संख्या 3702) गांव–सोनौली मोहम्मदपुर, परगना–ग्वारिच, तहसील– तरबगंज, जिला– गोंडा–271202 (क्षेत्रफल 8611 वर्ग फुट)। **सीमाएंः** पूर्व– बूटी यादव की भूमि, पश्चिम– नानकू मकान और भूमि, उत्तर–चकमर्ग और नानकू की भूमि, दक्षिणः सड़क	**25-11-2025** रु. **20,28,208/–** (रु. बीस लाख अट्ठाईस हजार दो सौ आठ मात्र) **16-02-2026** को अर्पा. 04.30 बजे से अर्पा. 05.00 बजे

दिनांकः 16.02.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश
कृते बजाज फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 19, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF"), filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the stock exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with "BSE", "Stock Exchanges").

LLOYDS ENGINEERING WORKS
LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED
Regd. Office: PLOT NO. A 5/5, MIDC INDUSTRIAL AREA, MURBAD, DIST. THANE: 421401.
Corporate Office: A2, 2nd Floor, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.
Tel. Nos.: 022-6291 8111 CIN : L28900MH1994PLC081235
Website : www.lloydsengg.in Email: infoengg@lloyds.in

CORRIGENDUM TO THE NOTICE FOR THE PAYMENT OF FIRST AND FINAL CALL MONEY PUBLISHED ON JANUARY 30, 2026 IN (i) All editions of Business Standard (English and Hindi national daily newspaper with wide circulation); and (ii) the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi language daily newspaper with wide circulation, Marathi being the regional language of Mumbai, where our Registered Office is situated).

FOR THE ATTENTION OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: INE093R01011) OF LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED HELD AS ON RECORD DATE I.E. WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026.

CORRIGENDUM TO FIRST AND FINAL CALL NOTICE

First and Final Call Payment Period Opens on : Wednesday, February 18, 2026

First and Final Call Payment Period Closes on : Wednesday, March 04, 2026

All the Eligible shareholders are requested to take note of the above change in the First and Final Call Call Money payment period. All capitalized terms not defined herein would have the same meaning as attributed to it in the Letter of Offer.

All correspondence in this regard may be addressed to Registrar to the Issue at the below mentioned address

Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent,
Unit – Lloyds Engineering Works Limited,
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre,
Mahakali Caves Road,
Andheri (East), Mumbai - 400093, India.
Telephone: +91-22-62638200,
Email: investor@bigshareonline.com
Contact Person: Suraj Gupta
Website: www.bigshareonline.com,
SEBI Registration No.: INR000001385.

For Lloyds Engineering Works Limited
Sd/-
Rahima Shaikh
Company Secretary and Compliance Officer
ACS: 63449

Date: February 18, 2026
Place: Mumbai

CIAL **COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED**

CIAL/COML/TROLLEYS/2026 **18.02.2026**

TENDER NOTICE

SITC OF RFID ENABLED PASSENGER BAGGAGE TROLLEYS WITH MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM AT CIAL

Online item rate e-tenders are invited for SITC of RFID enabled Passenger Baggage Trolleys with Maintenance Management System at CIAL. The Last date of submission of bids is 1500 hrs. on 12.03.2026. Interested firms may register themselves on the online e-Tendering portal **https://etenders.kerala.gov.in** and download the Tender documents.

For further details, visit **https://www.cial.aero/tenders** or contact **0484-2610115**, extn: **2274**

Sd/-
MANAGING DIRECTOR

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

CIAL/CIVIL/705 18.02.2026

TENDER NOTICE

Item rate E-tenders are invited from reputed civil contractors for the work mentioned below at Cochin International Airport, Nedumbassery.

Name of Work	Estimated Amount (Rs.)	EMD	Period of Completion
Revamping of Club House and Academy Building at CIAL Golf Club	6.83 Crores	Rs.10,00,000/- through online payment	12 months

For more details visit our website **www.cial.aero**

Sd/-
MANAGING DIRECTOR

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
वाराणसी शाखाः– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, तुलसी कॉम्प्लेक्स, सी–19/134, एम–बी, शास्त्री नगर, सिगरा, वाराणसी– 221010 उ.प्र.

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/VAR/0123/1071995, बी.ओ.: वाराणसी, ओम प्रकाश खरवार, लक्ष्मी खरवार	**14.07.2025 तक रु. 26,82,926.22**	**भौतिक कब्जा**	ओपन प्लॉट, आराजी नंबर 4, मौजा करवत, परगना राल्हूपुर, तहसील मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश–232101, भारत, एरिया – 2100 वर्ग फीट, नीचे दिए गए अनुसार घिरा हुआ हैः उत्तरः आराजी का हिस्सा, दक्षिणः आराजी का हिस्सा, पूर्वः श्रीराम और अन्य की जमीन, पश्चिमः रास्ता 20 फीट चौड़ा	**रु. 3133000**	**रु. 313300**	**09.03.2026**	**रु. 10,000**	**03.03.2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे**	**10.03.2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**ज्ञात नहीं**

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अमित कुमार सिंह, संपर्क नंबर 1800120 8800,** या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थानः वाराणसी, दिनांकः 18.02.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**